



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

3 755-2678870

फैक्स नं० 0755-2742008

क्रमांक/रा गां प्रौ वि /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2161

भोपाल, दिनांक 26/06/2013

प्रति

समस्त प्राचार्य / सहायक  
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग / कम्प्यूटरी  
एंगलिंग / आर्किटेक्चर महाविद्यालय  
मध्य प्रदेश।

विषय - संस्थानों में शैमि की सेवाएं हेतु।


महोदय

उपरोक्त विषयान्वयित लेख है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के फलन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मान्य अधिकार अर्थात् द्वारा कतये गये सुझावों पर तत्पश्चात् अमल किया जाये। राज्य शासन मान्य अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वारा संस्थानों को समस्त-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

यह सुनिश्चित करें कि इन सुझावों को समुचित फालन हो एवं शैमि के संबंध में "जीएस होल्डर" को शैमि का समुचित अनुमान एवं सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सुचनापत्रों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच संचालित रूप में प्रसारित करके एवं कट कर ताकि छात्रों को बीच शैमि जैसी कृपया के विषय में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्वविद्यालय में शैमि क्रमशः कम-कम-कम-कम-कम जाये एवं कम्प्यूटरी के संदर्भों के साथ तत्काल संबन्धित मध्य सहित सुझाव प्रदान एवं कट कर विचारों कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं जो अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की शैमि में विश्वविद्यालय प्रशासन को आशान्ति से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच संचालित एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित कर विचारों कि वरिष्ठ छात्र शैमि जैसी कृपया में संलग्न न हो सके एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आर्थिक निर्देशन भी करे तथा किसी भी अनैतिक गतिविधियों में संलग्न छात्रों के साथ कडवाई से अनुशासनत्मक कार्यवाही करे। साथ ही जहाँ महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की परस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कट कर।

आप को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान द्वारा शैमि सेकने संबंधी कटवाई जा रहे अन्य आवश्यक प्रस्तावों एवं कटवाई के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत कराये।



(डॉ० अनिल कुमार)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/06/2013

क्रमांक/रा गां प्रौ वि /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2161

प्रतिलिपि -

- 1 माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शारान भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 सहायक, तकनीक शिक्षा संचालनालय रातपूड़ा भवन कृष्ण ताल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफिसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।



(डॉ० अनिल कुमार)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)  
ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

फोन नं० 755-2678870

फैक्स नं० 0755-2742006

क्रमांक/रा गां प्रौ वि /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356

भोपाल, दिनांक//07/2013

## स्मरण पत्र

प्रति

समस्त प्राचार्य / संभालक  
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग/फार्मसी  
एम्प्लॉय/आधिष्ठाता महाविद्यालय  
भोपाल - 462033

विषय - संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय,

सम्बन्धित विधायनार्गत लेखा है कि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताने वाले सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जाये। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

यह सुनिश्चित करें कि इन सुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संबंध में "जीरो टॉलरेंस" की नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापटलों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कष्ट करें, ताकि छात्रों को बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्वविद्यालय से प्राप्त रैगिंग रोकथाम के पोस्टर महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चस्पा करें। महाविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों को नाम उनके मोबाईल नम्बर सहित सूचना पटल पर चरचा किया जावे। जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही बिल्सी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्नेह सम्मेलन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकस्मिक निरीक्षण भी करें तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कठार्ड से अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। साथ ही अपने महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की पदस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासों एवं योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावे।

*(Handwritten Signature)*  
A-11-3-13

(डॉ० अनिल गोयल)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

क्रमांक/रा गां प्रौ वि /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356

भोपाल, दिनांक//07/2013

प्रतिलिपि -

- माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संभालक, तकनीक शिक्षा संभालनालय सतपुड़ा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफीसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

*(Handwritten Signature)*  
A-11-3-13

(डॉ० अनिल गोयल)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

M/F



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल -462033

फोन नं० 755-2678870

फैक्स नं० 0755-2742006

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/28,50

भोपाल, दिनांक 27/08/2013

## // सूचना //

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के संचालक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार ( पत्र क्र. /रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2164 भोपाल, दिनांक 26/07/2013, एवं पत्र क्र./रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356 भोपाल, दिनांक 11/07/2013 ) निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अधिकतम महाविद्यालयों ने सत्र 2013-2014 हेतु एण्ट्रीरिंगिंग कमेटी का गठन नहीं किया है। अतः शीघ्र एण्ट्रीरिंगिंग कमेटी का गठन कर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग में सूचित करें अन्यथा आपके महाविद्यालय के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*A.*  
21.08.13

(डॉ. अजित मोयल)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल